हाथ-अुद्योग और यंत्र-अुद्योगोंका मेल – ३

रजि० नं० बी ४४४८

हरिजनसेवक

दो आना

(स्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १५ सम्पादक : किशोरलाल मशरूवाला सह-सम्पादक : मगनभाअी देसाअी अंक ५

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाअी देसाअी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद ९

अहमदाबाद, शनिवार, ता० ३१ मार्च, १९५१

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६
विदेशमें रु० ८; शि० १४

सवाल – जवाब

नशाबन्दी–विरोध

सवाल — संथाल परगनेमें अेक नशाबन्दी आन्दोलन चल रहा है। अिसमें अधिकांश कांग्रेस कार्यकर्त्ता भाग ले रहे हैं। वहांकी कांग्रेसने अुस आन्दोलनका विरोध किया है तथा अुसके निवेदन पर बिहार प्रान्तीय कांग्रसके अध्यक्षने संथाल परगनेके कांग्रेस कार्यकर्त्ताओंके नाम अेक आदेश जारी करके कहा है कि वे नशाविरोधी आन्दोलनमें किसी तरह भाग न लें। अिस आदेशके अनुसार क्या कांग्रेस कार्यकर्त्ताओंको नशाविरोधी प्रचार करना या अुसमें भाग लेना त्याग देना चाहिये?

जवाब — 'नशाविरोधी' किसी आन्दोलन या कार्यक्रममें हिस्सा न लेनेका कांग्रेसके मेम्बरोंको आदेश देना मेरी दृष्टिमें अैसा ही अयोग्य आदेश है, जैसा हिरण्यकश्यपुने प्रल्हादको रामनाम न लेनेका दिया था। कांग्रेसके मेम्बरोंको शुद्ध धर्म और अेक संस्थाके आदेशके बीच पसन्दगी करना है। वे अपने अंतःकरणको टटोलें और किसका त्याग करना वह तय करें।*

वर्धा, २३–३–'५१ कि० घ० मशरूवाला

* अूपर लिखा आदेश अिस प्रकार है:

"बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति, पो० सदाकत आश्रम, पटना
पत्र संख्या २६, ग २९१५ ता० ७-२-'५१

प्रिय महोदय,

प्रांतीय कांग्रेस समिति पूर्ण नशाबन्दीके पक्षमें पहलेसे ही है, परंतु जब तक अनुकूल वातावरण पैदा नहीं होता और प्रांतीय कांग्रेस समिति द्वारा नशाविरोधी कोअी आन्दोलन या कार्यक्रम नहीं चलाया जाता, तब तक स्वतंत्र रूपमें किसी भी कांग्रेसीके लिअे अिस तरहके आन्दोलनमें भाग लेना अच्छा नहीं है।

अतअेव आपसे अनुरोध है कि आप अपने जिलेके कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओंको सूचित कर दें कि यदि वे बिना प्रांतीय कांग्रेस समिति द्वारा चलाये अिस तरहके किसी आन्दोलनमें भाग लेंगे या सत्याग्रह करेंगे, तो अनके विरुद्ध यथोचित कार्रवाअी की जायगी।

भवदीय – ह० लक्ष्मीनारायण 'सुधांशु',
सभापति"

हमारा नया प्रकाशन

सर्वोदयका सिद्धान्त

कीमत ०-१२-० डाकखर्च ०-२-०

नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद – ९

सर्वोदय सम्मेलनके विषय

सर्वोदय समाजके मंत्रीने सूचना दी है कि शिवरामपल्ली (हैदराबाद)में होनेवाले सर्वोदय सम्मेलनमें नीचे दिये विषयों पर चर्चा करनेका सोचा गया है। लेकिन क्योंकि मैं अुसमें हाजिर न हो सकूंगा, अिसलिअे अुनमें से कुछ पर अपने विचार यहां पेश करता हूं।

विषय

(१) सर्वोदय समाजकी रूपरेखामें आर्थिक समानताका क्या अर्थ है? यह आर्थिक समानता वर्तमान अवस्थामें सत्य और अहिंसा द्वारा कैसे प्राप्त की जा सकती है?

(२) सर्वोदयसेवक–राष्ट्रीय पुनर्-संगठनमें किस प्रकार हाथ बंटा सकते हैं?

(३) राष्ट्रके चारित्र्य और नैतिक बलको अूंचा अुठानेके लिअे सर्वोदयसेवक आजकी परिस्थितिमें क्या कर सकते हैं?

(४) सूतांजलिका प्रचार, संगठन, विनियोग आदि।

(५) हर साल क्या सम्मेलनका अेक ही स्थान पर होना ज्यादा अुपयोगी होगा?

(६) क्या सर्वोदय मेले १२ फरवरीके बजाय ३० जनवरीको किये जायं?

(७) शरीरश्रम और अपरिग्रहके आधार पर हम अपनी संस्थाअें कैसे चला सकते हैं?

(८) क्या सर्वोदयकी विचारधारा और रचनात्मक कार्यके प्रचारके लिअे सारे देशमें घूमनेकी योजना बनाना अुपयोगी होगा?

(९) भिन्न-भिन्न रचनात्मक संस्थाओं, मंडलों आदिके अहवाल नियमित रूपसे आते रहनेकी योजना।

(१०) भिन्न-भिन्न रचनात्मक संस्थाओंके कार्यका समालोचन और आगेके लिअे दिशासूचन।

१. **आर्थिक समानता:** वर्तमान परिस्थितिको नजरमें रखकर ही हमें आगे बढ़ना होगा। अिसलिअे अक्षरशः आर्थिक समानता नजदीकके भविष्यमें अहिंसक तरीकेसे पैदा करनेका स्वप्न मैं नहीं देख सकता।

अहिंसक तरीकेका स्वरूप भी आजकी परिस्थितिमें ही सोचा जा सकता है। यानी वह कानून, समझदारी व स्वेच्छापूर्वक त्याग — अिन तीनोंका मिश्रण होगा। जिनके पास त्याग कराना है, अुनमें से कुछ अुस आदर्शसे प्रेरित होकर जितना भी त्याग, अपरिग्रह कर सकें अुतना वे करेंगे। अुसमें अधिकसे अधिक अितना ही त्याग किया जाय अैसी मर्यादा नहीं हो सकती। कुछ लोग समयकी मांगको समझकर, कुछ त्याग किये बिना गत्यंतर ही नहीं, पूरा धन चला जाय अिससे बेहतर है कि थोड़ा स्वेच्छासे छोड़ दें — अैसी समझदारीसे त्याग करनेके लिअे तैयार होंगे। अैसी समझदारीपूर्वक

www.vinoba.in

प्राप्त अनेक धनिकोंकी सम्पत्ति और समाजमें काम करनेवाले विविध बल, अिनके दोके परस्पर योगमें कानून द्वारा त्याग होगा। अिस विधिमें जिन्हें त्याग करना होगा, अुनमें से हरअेककी व्यक्तिगत सम्मति होनी चाहिये, अैसी कल्पना नहीं की जा सकती। अिसलिअे अिनमें से कअियोंको कानूनके दबावसे त्याग करना होगा। कानूनसे कराया हुआ त्याग शुद्ध अहिंसक तरीका तो नहीं है, लेकिन वर्तमान समाजका मान्य आचार माना जा सकता है। जिस तरह दूध निरामिष आहार तो नहीं है, परन्तु वर्तमान समाजमें निरामिष आहार करनेवालोंने अुसका स्वीकार किया है, अिस तरह अिसे समझा जाय।

अिस परिस्थितिमें आर्थिक समानताका अर्थ अधिकतम संपत्ति और आय तथा न्यूनतम सम्पत्ति और आयके बीचकी खाअी क्रमशः कम करते जाना होगा।

यदि **अधिकतम आय**की मर्यादा हम सार्वजनिक (सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाओंमें काम करनेवाले) सेवकोंके लिअे मासिक दो हजार रुपये और व्यवसायी लोगोंके लिअे मासिक पांच हजार रुपये तथा **अधिकतम खानगी संपत्ति**की मर्यादा सभीके लिअे दस लाख रुपये तय कर सकें, तो प्रथम कदमके रूपमें मैं अुसे निभा लूंगा।

न्यूनतम आयकी मर्यादाके विषयमें सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाओंमें स्थायी माहवारी वेतन पानेवाले सेवकोंके लिअे रुपयेके मूल्यमें बताना दरअसल भ्रामक ही है। अुसके कुछ निश्चित मानी ही नहीं होते। वास्तवमें वह नाज और पैसेके मिश्ररूपमें बतानी चाहिये। फिर भी आजकी परिस्थितिमें अुसे रुपयेके रूपमें नीचे लिखे अनुसार दिखाता हूं:—

२५ वर्षकी अुम्रके नीचे	मासिक रु० ६०)
२५ से ३० वर्षकी अुम्र तक	मासिक रु० ८०)
और ३० से अधिकके लिअे	मासिक रु० १००)

जो स्थायी माहवारी कर्मचारी नहीं, परन्तु दैनिक मजदूर जैसे नौकर हों, अुनके लिअे न्यूनतम मर्यादाके रूपमें हमें अुसके लिअे और अुसके आधार पर जीनेवाले काम करनेके लिअे अशक्त जीवोंके लिअे आवश्यक दो शामकी खुराक और दैनिक छः आने तक नगद पर प्रथम कदमके रूपमें पहुंचना चाहिये। यदि खुराकके बदलेमें वह नगद पैसा ही लेना चाहे, तो

१८ से २५ अुम्र तक दैनिक रु० १-८-०	मासिक रु० ४०)
२५ से ३५ तक दैनिक रु० २)	मासिक रु० ५०)
३५ से अधिक दैनिक रु० २-८-०	मासिक रु० ६५)

याद रखा जाय कि यह न्यूनतमकी मर्यादा अन्हींके लिअे है, जिन्हें आज अुपरोक्त मर्यादाओंसे कम वेतन मिलता है। जिन्हें अधिक मिलता है, अुनका वेतन कम करनेके लिअे नहीं है।

३. चारित्र्यवर्धनका कार्यक्रम:

(१) सूतकी गुंडीका विनोबाजीका कार्यक्रम।

(२) शुद्ध व्यवहार आन्दोलन।

(३) अुत्पादक शरीरश्रम, गांव-सफाअी और सामूहिक सहयोगसे बांधकाम आदि, सामूहिक प्रार्थना, भोजन, निवास आदि तथा शिविर आदिके कार्यक्रम।

५. सम्मेलनका स्थान: जब तक विनोबाजी सर्वोदयका मार्ग-दर्शन करते हैं, तब तक अुन्हें अनुकूल हो अुसी स्थान पर सम्मेलन किया जाय।

७. शरीरश्रम और अपरिग्रहके आधार पर संस्था चलानेके विषयमें:

(१) आदर देनेके लिअे किसीको शरीरश्रमसे मुक्त न किया जाय: जैसे, मुझमें अगर जीना चढ़नेकी ताकत नहीं, तो मुझे कुर्सी पर अुठा ले जानेमें हर्ज नहीं, परन्तु आदरके लिअे मुझे कोअी पालखीमें ले जाना चाहे, या मेरी गाड़ी ढकेलना चाहे, या मेरे हाथकी थैली या कोअी छोटी चीज मुझसे ले ले, तो अिसमें शरीरश्रमसे मुक्ति पानेमें अिज्जत समझनेका भाव सूचित होता है। अैसा नहीं करना चाहिये।

(२) संस्थाओंके लिअे अेकमुश्त नगद दानकी अेक अधिकतम मर्यादा रखी जाय: जैसे कि (संस्थाकी विशालताके अनुसार) किसी अेक व्यक्तिसे १ रु० १० रु० १०० रु० आदि अेक निश्चित रकमसे अधिक दान न लिया जाय।

(३) संस्थामें या अुसके किसी भागको किसी दाताका नाम देनेकी शर्त पर दान न लिया जाय।

(४) संस्थामें अितनी बचत न रहे कि अुसे ब्याज पर रखना पड़े। जो भी रकम हो अुसे किसी सार्वजनिक कार्यमें या संस्थाके द्वारा चलते हुअे किसी अुत्पादक व्यवसायमें लगाया जाय। मूल धन सुरक्षित रखकर ब्याजका ही अुपयोग करनेका बन्धन न स्वीकारा जाय।

८. सेवार्थ परिभ्रमण: कुछ प्रभावशील, चारित्र्यवान संन्यासी जैसे सेवक पैदल, बैलगाड़ी, घोड़ा या साअिकल पर देहातोंमें घमें तो हर्ज नहीं। साधारण सेवकोंको अपने सेवाक्षेत्रके भीतर ही परिभ्रमण करना चाहिये। सम्मेलन, समिति आदिमें हाजिर होनेके लिअे जो भ्रमण किया जाता है, अुसे मैं परिभ्रमण नहीं मानता। अुसी तरह मोटर, रेल आदिकी सवारी पर भ्रमण करनको भी मैं परिभ्रमण नहीं मानता। वैसा बार-बार करना मैं ठोस काममें विघ्नरूप समझता हूं।

वर्धा, १२-३-'५१ कि० घ० मशरूवाला

गुजरातमें हिन्दी-हिन्दुस्तानी प्रचार

[अप्रैल १९५०से अप्रैल १९५१ तक]

विधान सभाने ता० १४-९-'४९ की बैठकमें देशकी दफ्तरी भाषा संबंधी प्रस्ताव पास किया। अब प्रचार-कार्य किस तरह किया जाय, अिस बात पर विचार करनेके लिअे माननीय श्री मोरारजीभाअीकी अध्यक्षतामें अेक प्रचारक सम्मेलन ता० ४-१२-'४९ को गूजरात विद्यापीठ, अहमदाबादमें हुआ। सम्मेलनने विधान सभाके प्रस्तावको मान्य रखा।

अिससे अप्रैल १९५० की परीक्षामें कुछ फेर किया गया। यह परीक्षार्थीकी अिच्छा पर छोड़ दिया गया कि वह जिस लिपि (नागरी या अुर्दू) में चाहे प्रश्नपत्रका जवाब लिखे। और अुर्दू अधिक विषयके तौर पर सब परीक्षाओंमें रख दी गअी। जो चाहे वह अुसका अधिक विषय लेकर परीक्षा पास करें। अप्रैल, सितम्बर १९५० और अप्रैल १९५१की परीक्षाओंमें परीक्षावार अिस तरह परीक्षार्थी शामिल हुअे हैं:—

परीक्षा	अप्रैल १९५०	सितम्बर १९५०	अप्रैल १९५१
पहली	२४६४	३६४३	४१७४
दूसरी	२०००	२७४०	३५४३
तीसरी	४८६	८८९	१२९२
चौथी (विनीत)	३३६	२८४	४३९
	५२८६	७५५६	९४४८
अधिक अुर्दूमें बैठनेवालोंकी संख्या			
पहली	१०१	२५२	१५४
दूसरी	१८५	१७९	१९५
तीसरी	४३	१२७	११८
चौथी (विनीत)	५९	६३	८३
	३८८	६२१	५५०

www.vinoba.in

ता० २३-१०-'५०की परीक्षा-समितिकी बैठकमें तय किया गया कि चौथी परीक्षाका नाम 'हिन्दी विनीत' रहे और अिससे आगे अेक परीक्षा और शुरू की जाय, जिसका नाम 'हिन्दी-सेवक' हो। और यह परीक्षा सालमें अेक वार जुलाअी मासमें ली जाय।

सितम्बर '५०की परीक्षाअें करीब १५५ केन्द्रोंमें ली गअी थीं। अप्रैल १९५१की परीक्षाओंमें केन्द्र संख्या बढ़कर १९० तक पहुंच गअी है।

गिरिराज किशोर

हाथ-करघोंके लिअे सूत

मद्रास राज्यमें हाथ-करघेके लाखों बुनकर सूतके अभावमें बेकार हैं। बुनकरोंकी बस्तियोंमें अिस परिस्थितिके कारण बहुत तकलीफ है। कहीं कहींसे तो भुखमरी, मौत और आत्महत्याओंकी खबरें भी आअी हैं। अुनकी संस्थायें अपनी अिस बेबसीका अिजहार करनेके लिअे अुपयुक्त अधिकारियोंके पास प्रतिनिधि मंडल भेज रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, और अपनी समझके अनुसार 'सत्याग्रह' की तैयारियां भी कर रही हैं। सरकारी अधिकारियोंको सूझता नहीं कि क्या करें। वे सहायता और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहारका अनिश्चित वादा करते हैं, पर यदि अिसके बाद भी प्रदर्शनकारी हटते नहीं हैं, तो हालत पर काबू पानेके लिअे पुलिस बुलाते हैं।

अेक जिलेके केन्द्रीय शहरमें प्रत्येक बुनकर परिवारको २ रु० ८ आ० प्रति सप्ताहकी राहतकी मदद भी दो सप्ताहों तक दी गअी, पर बादमें बन्द कर दी गअी। दूसरे कअी केन्द्र भी अैसी ही मुश्किलमें हैं। और जब तक अुन्हें हर करघेके पीछे मासिक २० पौंड सूत नियमपूर्वक देनेकी व्यवस्था नहीं होती, तब तक वे पर्याप्त भत्ता मांगते हैं। यह अेक अजीब हालत है, और सबको अिसकी चिन्ता है। अीमानदार और परिश्रमी मजदूरोंको बेकार रहना, और भूखों मरना पड़ता है, क्योंकि कच्चा माल नहीं मिलता। अिन लाखों बुनकरोंको पैसेकी पर्याप्त मदद देनेमें सरकारको करोड़ों रुपया खर्च करना होगा।

सामान्यतः अिन हाथ-करघेके बुनकरोंको मिल-सूतका अेक छोटासा हिस्सा ही दिया जाता है, कारण अपना सूत अिन बुनकरोंको देनेके बजाय अुसे खुद ही बुन डालनेमें मिलोंको ज्यादा लाभ है। कपासकी कमीके कारण मिलें सूत कम भी कातती हैं, संभवतः अुतना ही जितना अुन्हें अपने करघोंके लिअे चाहिये। बुनकरोंकी मददके लिअे विदेशसे सूत मंगवायें, यह भी नहीं हो सकता। अेक तो वह आसान नहीं है, दूसरे महंगा भी पड़ेगा। यांत्रिक अुत्पादनने गृह-अुद्योगोंको अितना कुचला है कि यही आश्चर्य है कि हाथ-बुनाअी अभी तक जिन्दा कैसे है। यदि बुनकरोंको मिलके सूत पर निर्भर करना पड़े, तो अुसके न मिलने पर अैसे प्रसंग अकसर आयेंगे। अन्तमें बुनकरोंको अपना धन्धा बन्द करना पड़ेगा और अुनकी वही दशा होगी जो दूसरे गृह-अुद्योगी मजदूरोंकी हुअी है। लेकिन अुनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अुनके धन्धा छोड़नेसे जो अव्यवस्था पैदा होगी, वह आजसे भी भयंकर होगी।

समस्याका सही हल तो यही अेक है कि बुनकर हाथ-कते सूतका अुपयोग करने लगें, और देश अपना सारा सूत चरखे पर कातने लगे। गांधीजीने अिन दुष्परिणामोंको, आजसे अेक पीढ़ी पहले ही देख लिया था। लेकिन हम अुनकी बात पर ध्यान नहीं देते और अपनी टेढ़ी राह चलते हैं, जिसने कि आज हमें अिस झंझट और गड़बड़ीमें ला पटका है। अिस सवालका महात्माजीका दिया हुआ और भलीभांति परखा हुआ यह हल हमारे पास आज भी है। पर क्या हम अुसे मानेंगे?

(अंग्रेजीसे) न० स० शिवसुब्रह्मण्यन्

शराबबन्दी और समानता

हमारे राज्यके विधानमें समानता और सर्वोदयके आदर्शको काफी अच्छा स्थान प्राप्त हुआ है। अिसके आधार पर तो बम्बअी हाअीकोर्टने अैसा हुक्म निकाला था कि शराबबन्दी सेनाके लोगों पर लागू न की जाय यह भेद, विधानकी भावनाके विरुद्ध है। अिसलिअे सेनाको शराबबन्दीके कानूनसे मुक्त नहीं रखा जा सकता। अखबारोंसे यह मालूम हुआ है कि अिसी भावनाके आधार पर अभी-अभी बिहारकी बड़ी अदालतने जमींदारी-अुन्मूलनके कानूनको निकम्मा जाहिर किया है। स्त्री और पुरुषके बीच कानूनमें भेद नहीं किया जा सकता, अिस दलीलसे कितनी ही अदालतोंमें अनेक-पत्नी-निषेधके कानूनके खिलाफ भी अेतराज अुठाया गया है! मतलब यह कि समानताके आदर्शको विधानमें स्थान दिया गया है, अिसलिअे वह अनेक तरहसे प्रजाका, सरकारका और अदालतोंका ध्यान अपनी तरफ खींचेगा।

अिसलिअे यह सवाल बड़े महत्त्वका बन जाता है कि समानताका कौनसा अर्थ व्यवहारमें अुपयोगी या सच्चा माना जा सकता है। बालिग मताधिकारसे देशके हरअेक नागरिकको राजनीतिक समानता मिली कही जा सकती है। अस्पृश्यों, पिछड़ी हुअी जातियों, स्त्रियों, बालकों, अल्पसंख्यकों वगैराके लिअे विधानमें सुरक्षाकी अुचित व्यवस्था की गअी है। अिससे यह माना जा सकता है कि सामाजिक समानताकी नींव पड़ गअी ह। लेकिन सबको रोज-रोज याद आनेवाली बड़ी समानता तो आर्थिक है। अिस समानताके लिअे सरकार बहुत कुछ कर सकती है। अुसे सिद्ध करनेके लिअे देशके सारे अर्थ-तंत्रमें फेरबदल करना चाहिये। यह काम किस तरह किया जाय, अिसके सच्चे और सफल मार्ग तथा साधन कौनसे हैं? — अिस विषयमें मूल मतभेद और दृष्टिभेद होनेसे अुनके आधार पर सामाजिक कल्याणके अलग-अलग वाद खड़े हुअे हैं। भारतका विधान लोकशाही पद्धतिसे काम करते हुअे समानता और सर्वोदयका आदर्श सिद्ध करना चाहता ह। अिसमें शराबबन्दी अुत्तम मार्ग माना जायगा। अिसके होनेसे गरीब और पिछड़े हुअे वर्गों तथा जातियोंकी पसीनेकी कमाअी शराबखोरीमें बरबाद नहीं होती। अिससे वे अपना जीवनस्तर अूंचा अुठा सकते हैं। अैसा करना वे सीखें, यह देखनेका काम अुन लोगोंका है जो प्रौढ़शिक्षण और समाजसेवाका व्यापक कार्य करते हैं। अिसके अलावा, अुनकी स्त्रियों और बालकोंके लिअे विधान जो सुरक्षा चाहता है, अुसके सम्बन्धमें भी शराबबन्दीसे अपने-आप काफी काम हो जाता है। पूंजीपतियोंकी पूंजी छीनकर गरीबोंमें बांट देनेसे समानता कायम नहीं हो सकती। समानता तो अर्थव्यवस्था और सरकारी आय-व्ययकी पद्धति पर निर्भर करती है। अुस दृष्टिसे देखने पर शराबबन्दीसे करोड़ों रुपये अपने आप लोगोंमें बंट जाते हैं। अिसके फलस्वरूप गरीबोंका जीवन-स्तर अूंचा अुठ सकता है, जिससे वे स्वराज्यके अच्छे नागरिक बन सकते हैं।

अिसलिअे सरकारोंको चाहिये कि वे शराबबन्दीको अिस तरहकी विशाल और व्यापक दृष्टिसे देखें और केवल आयको बढ़ानेका तुच्छ विचार छोड़ दें। शराबसे बचनेवाले करोड़ों रुपये जनताके पास तो रहेंगे ही। वे रुपये प्रजाके अुपयोगमें आते रहेंगे। सरकारें बिक्री करके रूपमें अुनका फायदा जरूर अुठायेंगी। अिसके अलावा कोअी अर्थशास्त्री बता सके तो जरूरत पड़ने पर दूसरे कर भी लगाये जा सकते हैं। लेकिन जिस आयको पिछले तीस वर्षसे देशकी प्रजाने धिक्कारा है, अुसकी तरफ तो सरकारें ललचाअी निगाहसे हरगिज न देखें। आज अिस बहानेसे कुछ सरकारें शराबबन्दीके अमलकी जांच करने लगी हैं। जांच करनी हो तो भी अूपरकी व्यापक दृष्टिसे करें, शराबबन्दी हटा देनेके लिअे नहीं। सच पूछा जाय तो अैसी जांच करनेकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शराबबन्दी सब तरहसे अच्छी और सफल चीज है। किसी न किसी कारणसे अिस विषयमें शंका हो या किसी दूसरी-तीसरी बात पर नजर

www.vinoba.in

हो, तो जांच करनेकी बात सूझ सकती है; या शराबबन्दीके सम्बन्धमें जो काम होता है, अुसका अेकन्दर हिसाब लगाकर आगे बढ़नेका कार्यक्रम सोचनेके लिअे जांचकी बात सूझ सकती है। हम आशा रखें कि सरकारें चाहें तो वे दूसरे अुद्देश्यसे ही जांच करेंगी। पहले अुद्देश्यसे की जानेवाली जांच तो विधानके विरुद्ध है, अिसलिअे कोअी सरकार अुसे हाथमें नहीं ले सकती।

अहमदाबाद, २४-३-'५१ **मगनभाअी देसाअी**

(गुजरातीसे)

हरिजनसेवक

३१ मार्च १९५१

हाथ-अुद्योग और यंत्र-अुद्योगोंका मेल – ३

खादी, हाथ-करघा, तथा मिलके कपड़ेका समन्वय

मिलका कपड़ा हाथ-करघेका कपड़ा और खादी, अेक ही चीजके तीन प्रकार हैं, पर बेचनेकी आजकी पद्धतिमें अुन्हें अलग-अलग माना जाता है, और हरअेककी बेचनेकी कीमत अुसकी लागतके अनुसार ठहराअी जाती है। अिस तरह यदि किसी खास किस्मके मिल-कपड़ेकी कीमत ८ आना प्रति गज हो, तो अुसी किस्मका करघेका कपड़ा और खादी क्रमशः १० आना और १४ आना प्रति गजके भावसे बेची जाती है। लेकिन यदि खादी और हाथ-करघेका कपड़ा जनताके हितमें बढ़ाया जाना जरूरी लगता हो, तो कहना होगा कि अिस पद्धतिके पीछे कोअी विचार नहीं है। दरअसल वह कोअी पद्धति ही नहीं है, बल्कि आकस्मिक और असंगत रूढ़ी है। लागतके अनुसार तय की गयी बिक्रीकी कीमतको यदि हम 'कच्ची कीमत' नाम दें, तो हमारे सिद्धांतका रूप यह होगा — अेक ही प्रकारका प्रत्येक कपड़ा अुसका अुत्पादन चाहे जिस प्रणालीसे हुआ हो, अेक ही कीमत पर बेचा जाना चाहिये, अुसकी अलग-अलग 'कच्ची कीमतों' पर नहीं।

देशका पूरा वस्त्र-अुत्पादन मिल, हाथ-करघों और खादीमें अनुमानतः अिस तरह बांटा जा सकता है। मेरा खयाल है कि यह अनुमान हकीकतसे ज्यादा दूर नहीं है।

मिल-कपड़ा	करोड़ गज	प्रति-शत परिमाण
	४७८	७९-७
हाथ-करघेका कपड़ा	१२०	२०·
खादी	२	०३
कुल	६००	१००

चरखा संघकी खादी, यद्यपि वह अपने विभिन्न मजदूरोंको, खासकर कत्तिनोंको काफी मजदूरी नहीं देता, अभी अुसी दर्जेके मिल-कपड़ेकी प्रायः दुगुनी कीमत पर बिकती है। अगर मजदूरोंको पूरा जीवन-वेतन दिया जाय तो अुसकी कीमत ३।।। गुनी होगी, अुससे कम नहीं। करघेके कपड़ेकी कीमत अेक-सी नहीं रहती। अगर मिल-सूत यथेष्ट मिलता रहे, तो मिल कपड़ेकी तुलनामें वह करीब सवाअी कीमत पर बिकेगी। लेकिन सूतका अभाव बना रहनेके कारण लाचार होकर बुनकरको अुसे अक्सर मिल-कपड़ेसे भी सस्ते भावों पर बेचना पड़ता है। फिर भी हम यह मानकर चल सकते हैं कि अुसकी कच्ची कीमत सवागुनी होती है। अिन दरोंके अनुसार अिन तीन तरहके कपड़ोंकी कुल कच्ची कीमत अिस तरह होगी:

	करोड़ गज	कच्ची कीमत प्रति गज	कुल कीमत
मिल कपड़ा	४७८	०–८–०	२३९ करोड़ रु०
करघेका कपड़ा	१२०	०–१०–	७५ " "
खादी	२	१–१४–०	३.७५ " "
कुल	६००		३१८.७५

अिस हिसाबसे अेक गज कपड़ेकी औसत कीमत ८।। आने होती है।

अब अगर हम यह अनुभव करते हैं कि राष्ट्रीय हितकी दृष्टिसे गांवोंकी जनताकी समृद्धि पर ध्यान देना चाहिये और लोगोंको चरखा-प्रेमी बनाना चाहिये, तो अिस नतीजे पर आना होगा कि हाथ-करघा और चरखाको बढ़ावा देनेकी गरजसे करघेका कपड़ा मिलके कपड़ेकी बनिस्बत, और खादी करघेके कपड़ेकी बनिस्बत कम कीमत पर बिकनी चाहिये। कपड़ेकी औसत कीमत अूपरके हिसाबमें ०-८-६ प्रति गज आयी है। अब यदि खादी ८ आना प्रति गज और करघेका कपड़ा ०-८-६ प्रति गज बेचा जाय, तो दोनों पर क्रमशः १ रु० ६ आ० और ०-१-६ प्रतिगज नुकसान आयेगा। पूरा नुकसान अिस तरह होगा:—

	करोड़ गज	प्रति गज नुकसान	पूरा नुकसान
करघेका कपड़ा	१२०	०-१-६	११.२५ करोड़ रु०
खादी	२	१-६-०	२.७५ " "
कुल			१४.०

यह सारा नुकसान यदि ४७८ करोड़ गज मिल कपड़े पर बांट दिया जाय, तो वह अेक गज पर ६ पाअीसे ज्यादा नहीं पड़ेगा। मुमकिन है कि मिल और करघेके कपड़ेका जो अुत्पादन हमने माना है अुसमें गलती हो, और मिल-कपड़ेके निर्यात व्यापारको धक्का न पहुंचे अिस गरजसे सिर्फ देशके लोगोंके अुपयोगके मिल-कपड़े पर ही नुकसान फैलाया जाय, तब भी अुसे ज्यादासे ज्यादा ९ आ० प्रति गज बेचना पड़ेगा, यानी आजकी कच्ची कीमतसे १ आना प्रति गज ज्यादा। हम लोगोंमें से कुछका यह मत है कि खादीके पीछे रही नैतिक भावनाको बनाये रखनेके लिअे खादीको मिल-कपड़ेसे सस्ते दामों पर नहीं बेचा जाय, बल्कि अुसी श्रेणीके मिल-कपड़ेकी बनिस्बत हमेशा कुछ महंगा रखा जाय। यदि अैसा ही किया जाय, तब तो मिल-कपड़े पर फैलाया जानेवाला नुकसान और भी कम हो जायगा। यदि सारा कपड़ा ०-८-६ प्रति गजके समान भाव पर बेचा जाय, तो ६०० करोड़ गज कपड़ेकी कीमत ३१८·७५ करोड़ रुपये होगी। मतलब यह कि मिल-कपड़ेके भावमें आधा आना फी गजकी बढ़ती कर देनेसे खादी और करघेके कपड़े पर होनेवाला नुकसान पूरा वसूल हो जायगा।

अुत्पादकों यानी मिल-मालिकोंके वैयक्तिक अर्थशास्त्रकी दृष्टिसे नहीं, पर राष्ट्रीय अर्थशास्त्रकी दृष्टिसे कपड़ा अुत्पादनके सभी तरीकोंको जीवित रखना आवश्यक है। अिस दृष्टिसे मिल-कपड़ेका ८ आना गजके भावसे बेचा जाना नुकसानकारक है। यह नुकसान अनावश्यक है, क्योंकि मिल-कपड़ेकी कीमत बढ़ाकर हम अिस नुकसानका निवारण आसानीसे कर सकते हैं; तब भी यदि कोअी ग्राहक देहाती अुत्पादकोंके हितमें लगायी गअी अिस नगण्यसी वृद्धिको भी बचाना चाहता है, तो खादी या हाथ-करघेका कपड़ा खरीद कर बचा सकता है; और अपने फुरसतके समयमें कातकर या बुनकर अिससे भी ज्यादा बचत कर सकता है।

अूपरके हिसाबमें करघेके कपड़े और खादीके अुत्पादन और अुनकी कीमतोंके ज्यादासे ज्यादा हिसाब लगाये गये हैं। असलमें दोनोंका अुत्पादन और कीमतें जितनी मानी गअी हैं, अुनका ६० प्रतिशत ही होंगी। यहां जिस नीतिकी हिमायत की गअी है, अुसे यदि स्वीकार कर लिया जाय, तो शायद खादी अेक-दो सालमें दिये गये आंकड़ों तक पहुंच जायगी। हाथ-करघेके कपड़ेके बारेमें कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि वह अिस पर निर्भर है कि मिलें कितना सूत अुसके लिअे देती हैं। लेकिन खादीको बढ़ाया गया, तो अुसका लाभ बुनकरोंको भी मिलेगा; अुन्हें ज्यादा काम मिलेगा। चरखा बुनकरका भी अन्नदाता है, क्योंकि हाथ-करघेका सहयोग चरखेके लिअे अनिवार्य है। मिलके लिअे वह अनिवार्य नहीं है। चरखेका

www.vinoba.in

अुत्पादन जितना ज्यादा होगा, हाथ-करघेके बुनकरोंको सूत देनेका मिलका बोझा अूतना ही कम हो जायगा।

यह नीति चरखा और खादीको बढ़ावा देगी, अिसमें कोअी संदेह नहीं है। लेकिन यह नीति अख्तियार करनेके बाद अगले पांच सालमें चरखेके सरंजाममें काफी सुधार होने पर भी, १० करोड़ गजसे ज्यादा खादी बननेकी अुम्मीद नहीं की जा सकती। कुछ भी सुधार न किये जायं तब भी अुत्पादनकी अिस वृद्धिके कारण खादी पर होनेवाला नुकसान ज्यादासे ज्यादा ११ करोड़ रुपये और बढ़ जायगा, यानी फी गज ९ पाअीसे भी कम। औजारों और तरीकोंमें सुधार हो जाय, और अुत्पादन बढ़ जाय, या खादीकी वृद्धिके साथ-साथ मिल कपड़ेकी भी वृद्धि हो जाय, तब तो प्रति गज पर होनेवाला नुकसान और भी कम हो जायगा। अिस तरह, जो भी हो, मिल-कपड़ेके मूल्यमें अिस १ आना फी गजकी वृद्धिसे नुकसानकी भरपाअी हो जायगी। यानी, दूसरा कोअी कारण न हो, तो कमसे कम पांच साल तक अिन कीमतोंको बदलनेकी जरूरत नहीं पड़ेगी।*

अूपर जिस कल्पित परिस्थितिको मानकर हमने यह सारा हिसाब लगाया है, मौजूदा हालत वैसी नहीं है; अुससे बहुत अच्छी है। खादीकी मौजूदा कच्ची कीमत मिल-कपड़ेकी कीमतसे दुगुनी ही होगी, ज्यादा नहीं; और अुसका अुत्पादन २ करोड़ गजसे भी कम है। खादी बनानेके तरीकोंमें भी वेगसे सुधार किये जा रहे हैं, और यदि खादीको राष्ट्रीय शक्तिका आपद् (रिजर्व) धन मानें, — जो कि हकीकतमें वह है — तो निश्चय ही ये सुधार और भी जल्दी होंगे। अिसके सिवा, विशेष कलापूर्ण ढंगकी खादी पहलेकी ही तरह मुंह-मांगी कीमतों पर बिकती रहेगी, और बहुत-सी खादी, जो घर-अुपयोगके लिअे पैदा की जाती है या जिसके सूत पर मजदूरी नहीं दी गअी है बाजारमें जायगी ही नहीं। फलतः सब बातोंका खयाल किया जाय, तो मिल-कपड़ेके मूल्यकी यह वृद्धि संभवतः अुतनी भी नहीं होगी जितनी हमने अपने हिसाबमें मानी है। या अुतनी ही रखी जाय तो अुसकी आयमें से कपास और खादीके लिअे जरूरी शोध-कार्यका खर्च भी अुसीमें से निकल आयेगा।

बेशक, यह वृद्धि सरकारको मिलनी चाहिय, मिलोंको नहीं; और सरकारको भी अुसका अुपयोग हाथ-करघे और खादीके पोषणमें ही करना चाहिये।

अगले लेखमें अिस नीतिके परिणाम और अुसमें रहे गर्भित अर्थों पर विचार करनेका प्रयत्न करके अिस विषयको मैं पूरा करूंगा।

वर्धा, २२-३-'५१ कि० घ० मशरूवाला

(अंग्रेजीसे)

* अेक मित्रने अूपर दिये आंकड़ों पर शंका प्रगट की है। अुनके मतसे अिन आंकड़ोंको यदि नीचे मुताबिक बदल भी दिया जाय, तो भी आखिरी निष्कर्षमें कोअी फर्क नहीं पड़ेगा।

	करोड़ गज	दर प्रति गज	कीमत करोड़ रुपया
मिल-कपड़ा	४०८	१—०—०	४०८ " "
करघा-कपड़ा	१०२	१—४—०	१२७·५ " "
खादी	२	३-१२-०	७·५ " "
कुल	५१२		५४३

यानी औसत कीमत १रु० १आ० प्रति गज।

यदि आगामी पांच सालमें खादीका अुत्पादन, अुसके सरंजाममें कोअी सुधार हुअे बिना, बढ़कर १० करोड़ गज हो जाय, तथा दूसरे कपड़े जैसेके तैसे रहें, तब भी औसत कीमत १रु० १आ० १ पा० फी गजसे कम ही रहेगी। अिस तरह मिल-कपड़े पर १आना प्रति गजकी वृद्धिसे खादीका अुत्पादन बढ़कर १० करोड़ गज प्रति वर्ष हो जाय, तब तकके लिअे, खादी और करघेके कपड़ेको पोषण मिलता रहेगा।

शुद्ध व्यवहार आन्दोलन

जीवनके हर क्षेत्रमें और सार्वजनिक संस्थाओंमें भी बेअीमानी घुस गअी है। मुनाफाखोरी, कालाबाजार, मिलावट, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक और ट्रस्टके पैसोंकी गड़बड़ी (गबन), जालसाजी आदि खूब बढ़ गये हैं। मानना चाहिये कि गरीब लोगोंको या सामान्य जनताको अति कष्ट न हो, अिस अिरादेसे सरकारोंने हमेशा अुपयोगमें आनेवाली कुछ मुख्य चीजोंके मूल्य-नियंत्रणकी तथा नियत मात्रामें बंटवारेकी पद्धति चालू की है; लेकिन आम तौरसे जनताका मत यह है कि नियंत्रणकी विचारधारा और अुसे लागू करने अेवं अमलमें लानेके ढंगका आर्थिक और अनैतिक नतीजा अुससे कम बुरा नहीं हुआ है, जितना कि नियंत्रण और नियत बंटवारा न रहनेसे होता। अितना पतन हमारा हो गया है जितना अिसके पहले कभी न हुआ था।

फिर भी देशमें जहां तहां अीमानदार लोग पाये जाते हैं और वे अपना जीवन अीमानदारीसे बिताना चाहते हैं, परन्तु आजकी आर्थिक व्यवस्थामें और परिस्थितिमें अैसा करना अुनके लिअे बहुत मुश्किल हो जाता है। अैसे लोग समाजके हर वर्गमें — किसानों, माल पैदा करनेवालों, बेचनेवालों, मालका अुपयोग करनेवालों, सरकारी नौकरों आदि सबमें हैं। वे अपनेको अेक जंजालमें फंसे हुअे पाते हैं। अगर वे अपनी खेतीकी फसल और माल आदि न छिपायें, बिना कुछ बख्शिश पाये कोअी काम न करनेवाले रेलवे और अन्य सरकारी अधिकारियोंको, (जिनका फर्ज है कि अपना-अपना काम बराबर करें) रिश्वत न दें, नियंत्रित दरोंसे माल बेचनेके लिअे और खरीदनेके लिअे यदि वे डटे रहें और बंटवारेके अपने हिस्सेसे ज्यादा लेनेकी कोशिश न करें, अेवं अपने मातहत या अूपरके कर्मचारियों द्वारा होनेवाली बेअीमानी या अव्यवस्थामें साथ न दें, तो वे पाते हैं कि अुनका निभना असंभव है। अैसे कअी लोग हैं, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षोंमें अेक-पीछे अेक अपने अनेक धन्धे अिसलिअे छोड़ दिये कि नियंत्रणकी नीतिके कारण अुन्हें अीमानदारी और मुनाफेसे चलाना असंभव हो गया। मुनाफेसे मतलब यहां अितना ही है कि जो अुनको निर्वाहके लिअे वाजिब बचत दे सके।

वे अीमानदार रहना चाहते हैं, लेकिन अिसकी आवश्यकता महसूस करते हैं कि अुनके प्रयत्नमें अुनको कोअी मदद दें। और किसीके सहयोगका बल मिले, ताकि अेक दूसरेकी मददसे काम निभ सके।

अिसलिअे हमें अैसा कोअी अुपाय करना चाहिये जिससे अैसे लोग नजदीक आयें और अेक-दूसरेको जानें। अुसके बाद वे आपसमें व्यवहारका सम्बन्ध कायम कर सकेंगे। यानी वे आपसमें माल बेचेंगे और खरीदेंगे अेवं अधिकारियों द्वारा होनेवाली बुराअीको मिटानेमें अेक-दूसरेकी मदद करेंगे, ताकि भ्रष्टाचार और टालमटोलको स्थान न मिले। नियंत्रित चीजोंके बारेमें अुन्हें पहले तो सरकारी नियंत्रणके भावोंके अनुसार ही लेन-देन करनेकी भरसक कोशिश करनी चाहिय। लेकिन जब वे पायें कि अैसा करना असंभव है, तो अुनको अिकट्ठे मिलकर विचार करके अिसके कारणोंकी जांच करनी चाहिये और दोषोंको सुधारनेके और भ्रष्टाचारका मुकाबला करनेके साधन सोचने चाहियें। अुनको यह जानना चाहिये कि सरकार और समाजके नियम और रीति सुधारनेके लिअे अुन पर दबाव लानेके लिअे सबसे पहले यह जरूरी है कि वे व्यवहार-शुद्धिमें और अीमानदारीमें अपने खुदका अूंचे दर्जेका अुदाहरण पेश करके अपनी प्रतिष्ठा जमावें। किसी भी अधिकारी या समाजके लिअे श्रेष्ठ नीतिमान लोगोंकी मांगकी अवहेलना करना संभव नहीं होता, विशेषतः तब, जबकि वे सम्मिलित होकर काम करते हैं।

www.vinoba.in

वातावरणमें कुछ-न-कुछ सत्याग्रह करनकी बात सुनाअी देती है। सत्याग्रह अपने सच्चे मानीमें सत्य और अहिंसक व्यवहारका सतत अभ्यास ही है। केवल जान-मालको हानि न पहुंचाते हुअे जेल जानेकी तैयारी रखने मात्रसे कानून तोड़नेका कोअी आन्दोलन सत्याग्रह नहीं बनता। प्रतिकारके रूपमें बेअीमानी और भ्रष्टाचारके विरुद्ध सत्याग्रह वे ही कर सकते हैं, जो खुद अपने साथियों सहित शुद्ध व्यवहारमें लगे हैं और दृढ़-प्रतिज्ञ हैं। अिसलिअे सत्याग्रहकी किसी प्रकारकी कल्पना करनेके पहले शुद्ध व्यवहारका आन्दोलन होना चाहिये।

आजकी गिरी हुअी दशा और भ्रष्टाचारका सबसे बड़ा कारण जीवनमें पैसेको दिया हुआ अति महत्त्व है। अगर हम अीमानदारीसे जीनेका दृढ़ निश्चय कर लें, तो अैसे अुपाय सूझ जायेंगे जिनसे हमारी मामूली खरीदी-बिक्रीमें पैसेका बहुतसा अुपयोग हम बाद कर सकेंगे या कम कर सकेंगे; जैसे कि, योग्य चीजोंके द्वारा या श्रमके साधनसे चीजोंकी अदल-बदल करना। अिस प्रकार पैसेको अति महत्त्व देनेके कारण जो कालाबाजार, मुनाफाखोरी, भ्रष्टाचार आदि अड़चनें खड़ी होती हैं, अुन्हें हम लांघ सकेंगे।

कुछ समयसे बम्बअीमें श्री केदारनाथजी शुद्ध व्यवहार आन्दोलन चला रहे हैं। मेरी यह सूचना वैसे ही कामको आगे बढ़ानेकी है। यह काम अधिक अुत्साहसे किया जाना चाहिये, पर साथ ही बड़ी सावधानीसे, ताकि कोअी अपने स्वार्थके हेतु अुसका दुरुपयोग न कर सके।

अब प्रश्न यह है कि यह काम शुरू कैसे किया जाय। यह तो स्पष्ट ही है कि वैसा आन्दोलन स्थानिक प्रेरणासे और स्थानिक लोगों द्वारा ही चलाया जाना चाहिये। कोअी व्यक्ति या संस्था, जिसका स्थानिक लोगोंसे सम्बन्ध है और जिसे वह काम करनेकी तीव्र अुत्कंठा है, वह बाहरके किसी नेताकी राह न देखते हुअे अपने यहां जल्दीसे जल्दी काम शुरू कर दे। अुनको अिस काममें अैसे ही लोगोंको दाखिल होनेको कहना चाहिये और सम्मिलित करना चाहिये, जिन पर अुनका पूरा विश्वास हो कि वे अपने वचनका पालन करेंगे। अगर कोअी बनी-बनायी अुपयुक्त स्थानिक संस्था न हो, तो अिस योजनामें शामिल होनेवाले करीब १० व्यक्ति मिलने पर नयी संस्था बनानी पड़ेगी। यह संस्था बनानेके पहले कौन भाअी-बहन अिस काममें शामिल होना चाहते हैं, अिसकी जानकारी पानेके लिअे प्रारंभमें नीचे लिखे अनुसार वे निवेदन लिख दें। जहां कोअी स्थानिक व्यक्ति या संस्था यह काम अुठानेको तैयार न हो, वहां भी जो व्यवहारशुद्धिमें शामिल होना चाहते हैं, वे अिसके अंतमें लिखे पते पर अपना मानस अिसी प्रकार लिख भेजें। अगर यह पाया जाय कि किसी क्षेत्रमें अिस काममें शामिल होने लायक कुछ व्यक्ति मिल सकते हैं, तो अुनको अेक-दूसरेकी जानकारी नीचे लिखे दफ्तरसे दी जायगी।

प्रारंभिक निवेदन

"मैं शुद्ध व्यवहारी होना चाहता हूं। मैं अपनी खरीदी-बिक्रीमें या जीवनकी अन्य बातोंमें मुनाफाखोरी, रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार, कालाबाजार संग्रहखोरी आदि नहीं करना चाहता, लेकिन कअी दफा अैसे पेंचमें पड़ जाता हूं कि अैसे काम नहीं टाल सकता। मैं समाजके सब वर्गोंमें से अैसी अिच्छा रखनेवाले आदमियोंका साथ और सहयोग चाहता हूं। अगर अैसे विक्रेता, ग्राहक, सरकारी तथा अन्य कर्मचारी आदि मिले तो अुनका जिन-जिन चीजोंसे सम्बन्ध आता है, अुन्हें लेने-देनेमें मैं अुनसे ही सम्बन्ध रखूंगा।"

अैसे दस शुद्ध व्यवहारी मिलने पर अगर नयी संस्था बनानेकी जरूरत हो तो अुनका अेक स्थानिक मण्डल बनाना चाहिये। अुस मण्डलको अधिकार रहेगा कि वह अपने लिअे नियम बनावे और अैसी नीति निर्धारित करे कि जिससे मण्डलके सदस्योंकी आपसकी मददसे अुनकी अड़चनें दूर हो सकें, समाजका नैतिक स्तर अूंचा अुठे, बेअीमानी और बुराअियोंका मुकाबला हो सके और अेक-दूसरेको मदद पहुंचकर व्यवहार-शुद्धि हो सके।

मण्डल बनने पर, मण्डलके हरअेक सदस्यको अपनी-अपनी स्थितिके अनुसार अेक प्रतिज्ञा लेनी चाहिये और अुसके अनुसार चलनेमें दृढ़-संकल्प होना चाहिये। मण्डलके सदस्य सोच-विचारकर अपने मण्डलके लिअे अुपयुक्त प्रतिज्ञा-पत्रका मसविदा बनावेंगे।

मैं यहां अैसे अेक प्रतिज्ञा-पत्रका अेक नमूना देता हूं:

"मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि — (१) व्यापारीके नाते मैं (क) मालकी संग्रहखोरी नहीं करूंगा, जिससे बाजारमें अुसकी कृत्रिम कमी पैदा हो जाय। (ख) बाजारमें कृत्रिम मांग बढ़नेके कारण बेजा मुनाफा करनेके लिअे अपने मालके भाव नहीं बढ़ाअूंगा। (ग) किसीके अज्ञान या जरूरतका लाभ अुठानेके लिअे ज्यादा कीमत नहीं मांगूंगा, या तोल-नापमें कपट नहीं करूंगा। (घ) भविष्यमें आकस्मिक कारणोंसे भाव बढ़ जायेंगे, अिस आशयसे मैं चीजें बेचनेसे अिनकार नहीं करूंगा। पर अगर कोअी अनुचित लाभ अठानेकी दृष्टिसे मेरा माल खरीदना चाहेंगे तो मैं अन्हें माल नहीं दूंगा। अिस दशामें मेरे द्वारा खरीददारोंको फुटकर बिक्रीसे तथा अेक नियत मात्रामें ही माल बेचनेका अधिकार मैं रखूंगा। (च) मैं अपने मालकी बिक्री-कीमत सही-सही खुलेआम ताअूंगा। (छ) मैं अपने मालमें किसी तरहकी मिलावट नहीं करूंगा और जानकारी होने पर अैसी चीज अपनी दुकान पर नहीं रखूंगा।

"(२) खरीददारके नाते (क) जिस चीजकी बाजारमें कमी हो, अुसे जरूरतसे ज्यादा नहीं खरीदूंगा और कृत्रिम कमी पैदा करनेवाली प्रवृत्तियोंमें सहयोग नहीं दूंगा। (ख) जिन चीजोंके भाव नियंत्रित किये गये हों, अुन्हें नियंत्रित भावसे ही खरीदनेकी मेरी कोशिश रहेगी। पर वे अैसे न मिलें तो मैं यथासंभव अुनके बिना ही निभानेकी कोशिश करूंगा। (ग) सुविधा, आराम या सामाजिक कार्योंके लिअे कानूनको टालकर या गुप्त रीतिसे चीजें नहीं खरीदूंगा। (घ) मैं किसीको रिश्वत नहीं दूंगा और दूसरोंकी अपेक्षा खुदके लिअे बेजा फायदा अठानेके आशयसे न किसीसे सिफारिश-पत्र ही लूंगा।

"(३) सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक कार्यकर्त्ताके नाते मैं किसीसे रिश्वत या बख्शिश नहीं लूंगा और न मेरे कर्तव्यपालनमें अधिकारी या बड़े आदमियोंके प्रभावसे च्युत ही होअूंगा।

"मैं ज्यादासे ज्यादा लोगोंको शुद्ध व्यवहारी बनानेकी कोशिश करूंगा।

"अपनी अिस सदिच्छाके प्रतीकके रूपमें बीमारी या अन्य अनिवार्य कारणोंकी दशाको छोड़कर, मैं रोजाना अपने मकान या आसपासके हिस्सों या कपड़े, बरतन आदिकी सफाअी स्वयं करूंगा और अैसा करते हुअे अैसी भावना करूंगा कि अिस बाहरी सफाअीसे मुझे अपने हृदयकी सफाअी और नीतिमें आगे बढ़ना है।"

वर्धा, २०-३-'५१ कि० घ० मशरूवाला

नोट: सर्व-सेवा-समिति, वर्धाने अपने क्षेत्रमें अिस कार्यका आरंभ तुरन्त करनेका निश्चय किया। श्री श्रीकृष्णदास जाजू अुसका मार्गदर्शन करेंगे। अन्य स्थानोंके लोग भी अधिक जानकारी, सूचना आदि प्राप्त करनेके लिअे अिस विषयमें फिलहाल सारा पत्रव्यवहार नीचेके पते पर करें। कृपया पत्र पर "शुद्ध व्यवहार सम्बन्धी" अैसा स्पष्ट लिखें।

पता:—

मंत्री, सर्व-सेवा-समिति,
मारफत — श्रीकृष्णदासजी जाजू
बजाजवाड़ी, वर्धा (म०प्र०)

www.vinoba.in

विनोबाकी पैदल यात्रा

१

संकल्प

[सेवाग्राम, ६-३-'५१]

आज यह तय हुआ है कि आगामी सर्वोदय सम्मेलनके लिअे मुझे हैदराबाद जाना है। कल सवेरे यहांसे पवनार जाअूंगा।

परसों पवनारसे हैदराबादके लिअे पैदल निकलूंगा। रोज करीब पन्द्रह मील चलनेकी कल्पना है। वाहनमें न बैठनेका मैंने व्रत नहीं लिया है। क्योंकि व्रत तो सत्य-अहिंसा आदिका लिया जाता है। वित्तविच्छेदकी बात मैं कर रहा हूं, तो अुसका यह अर्थ भी नहीं है कि मुझे प्रवास छोड़ देना है। पैसेके छेदके कअी पहलू मुझे दीख पड़ते हैं। अुन पहलुओंके अनुकूल समाज हमें बनाना है। परमेश्वर चाहेगा तो अिस काममें हमें जरूर यश देगा।

मित्रोंसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे अिस संकल्पको तोड़नेकी बात वे न सोचें। संकल्पमें शुरूसे कुछ अपवाद भी नहीं रखना चाहिये। अुससे मनुष्यकी न संकल्पशक्ति बढ़ती है और न प्रतिभा। पैदल यात्राकी योजना बनानेमें जो मदद देना चाहें, वे जरूर दे सकते हैं।

परंधाम आश्रमसे बिदा

[पवनार ता० ७-३-'५१]

कलसे मैं पैदल चलकर हैदराबादके सर्वोदय सम्मेलनके लिअे जा रहा हूं। अचानक ही यह तय हुआ, और अब केवल ३० दिन ही बचे हैं, अिसलिअे मैं कल ही कूच कर रहा हूं।

चित्त-शुद्धिका कार्य

अपने यहां जो काम चल रहा है, अुस सम्बन्धमें मैं कअी बार आपके सामने बोल चुका हूं। यह काम यदि ठीक ढंगसे रूप पकड़ लेगा, तो अुससे हम सबकी चित्तशुद्धि होगी और समाजको भी कुछ शुद्धि प्राप्त होगी। अिस तरह दोनोंका काम बनेगा। अिसलिअे अिच्छा थी कि अिस कामका कुछ रूप आने तक मैं यहीं रहूं। वैसे मेरी तबियत भी बहुत अच्छी हो गअी है अैसा नहीं कह सकते। लेकिन यह चीज गौण है। मुख्यतया यहांके कामका कुछ आकार आनेके बाद ही जरूरत पड़ी तो बाहर जा सकता हूं — हो सकता है शायद बादमें बाहर जानेकी जरूरत न भी पड़े- अैसी कल्पना थी। लेकिन बीचमें जानेका तय हुआ है, तो वह भी परमेश्वरकी अिच्छासे ही प्रेरित हुआ है अैसा मैं देख रहा हूं। क्योंकि यह सारा अनपेक्षित-सा हो गया और अिस खबरसे सबको आनन्द भी हुआ है।

पैदल यात्रा क्यों ?

सर्वोदय सम्मेलनमें सब लोग जिस तरीकेसे जा सकते हैं, अुसी तरीकेसे जाना अच्छा है। जो अिस तरह नहीं जा सकते हैं, वे रेलगाड़ीसे आयेंगे तो भी अुसमें दोष नहीं है। लेकिन हो सके तो पैदल ही जाना अच्छा है। अुससे देशका दर्शन होता है। जनताके साथ संपर्क स ता है और अुसे सर्वोदयका सन्देश पहुंचा सकते हैं। वह सन्देश सुनने और अुसमें से सान्त्वना प्राप्त करनेके लिअे लोग बहुत अुत्सुक हैं। लोगोंको अिस समय सान्त्वनाकी सख्त जरूरत है। किसीका मन अगर त्रस्त हुआ है, और अुसमें से मुक्त होनेका कुछ रास्ता अुसे मिल जाता है, तो अुसको शान्ति मिलती है। यही हाल आज जनताका हुआ है। अिसमें किसी अेकका दोष है अैसी बात नहीं है। सबका मिलकर दोष है। लेकिन दोषोंकी चर्चा भी किस कामकी है? जरूरत है दोष-निरसन की। और अुसका अुपाय सीधा सादा, सबके करने योग्य और असरकारक भी है, जिसका हमने यहां परंधाममें प्रयोग किया है। यद्यपि अभी तक जैसा हम चाहते हैं वैसा रूप अुसे नहीं मिला है, फिर भी शुभ भावनासे तपस्या हो रही है। और अुतनी भी व्यथित मनको सन्तोष दे सकती है।

यात्राका ढांचा नहीं बनाया है

अिस प्रवासमें मैं अपनी कुछ भी कल्पना लेकर नहीं जा रहा हूं। सहजतासे जो होगा वह होने दूंगा। फलाने ढंगसे सफर करनी है, फलाना काम करवा लेना है, अैसा कुछ भी मेरे मनमें नहीं है। जगह-जगह जो भी भले लोग मिलेंगे, अुनसे मिलना और लोगोंकी जो कठिनाअियां होंगी अुनको हल करनेका कुछ रास्ता बता सकूं तो बताअूं, अितना ही मनमें है। अब समय कम रहा है। अिसलिअे निश्चित रास्तेसे ही जाना पड़ेगा। अिधर अुधर हो आनेकी गुजाअिश नहीं है। वापिस आते समय अैसी कोअी पाबन्दी न होनेके कारण अपनी अिच्छाके मुताबिक घूम सकेंगे। लेकिन आगेका विचार अभी नहीं किया है। वह हैदराबाद पहुंचनेके बाद तय होगा।

मेरा मन यहीं है

जो लोग यहां अिस काममें लगे हुअे हैं, अुनके साथ मेरा शरीर यद्यपि नहीं दिखाअी देगा, तो भी मेरा मन यहीं है अैसा अनुभव आपको होगा। शरीरसे यहां रहते हुअे जितनी तीव्रतासे मेरा मन यहां था, अुससे कम तीव्रतासे वह नहीं रहेगा। शायद अधिक तीव्रतासे ही रहेगा। मुझे अुम्मीद है कि जिन नवयुवकोंने यह काम पूरा करनेकी शपथ ली है, वे यदि यह काम अीश्वरका है अिस भावनासे अुसे निरहंकारपूर्वक करते रहेंगे, तो अुन्हें यहांकी मेरी गैरहाजिरी अुत्साह देनेवाली ही साबित होगी।

२

[वायगांव, ८-३-'५१ : पहला मुकाम]

यहांसे १३ मील पर पवनार है। वहां परंधाम आश्रम है। अुस आश्रममें मैं रहता हूं और तुम सबकी चिन्ता करता रहता हूं। किसान कैसा जियेगा, देहातका सुधार कैसे होगा, लोगोंको कैसे सुख मिलेगा, दीनता, दरिद्रता और दुःख कैसे दूर होंगे, प्रेमका राज कैसे फैलेगा — अिसका विचार किया करता हूं। वहां हम लोग और हमारे साथ बहुतसे पढ़े-लिखे लोग भी हैं। वे सब कुदालीसे खोदते हैं, रहेंट पर हाथसे पानी खींचते हैं, सूत कातते हैं, कपड़ा बुनते हैं, बढ़अीका काम करते हैं, और अिन सबका विकास कैसे होगा, अिसका विचार भी किया करते हैं।

पैदल यात्राका खब्त

अब मैं वहांसे यहां तुम्हारे गांवको आया हूं और चलते-चलते तीन सौ मील पर हैदराबाद है, वहां जानेवाला हूं। वहां सज्जनोंका अेक संमेलन होनेवाला है। अुसे सर्वोदय समाजका सम्मेलन कहते हैं। वहां हम ८-१० आदमी पैदल जानेवाले हैं। कुछ बहने भी हैं। कोअी बैल-गाड़ीमें भी बैठेंगे। अेक लड़का कह रहा था : "रेलगाड़ीसे जानेमें देर लगती है, अब तो जलदी ले जानेवाले हवाअी जहाज निकले हैं। अिन दिनों पैदल चलना, यह कैसा खब्त है?" लेकिन यह पागलपन तुमसे भेंट करनेके लिअे है। अभिप्राय यह है कि तुमसे मिलूं, तुम्हारे सुख — दुःख सुनूं तुमसे संपर्क करूं, तुम्हारे साथ सम्बन्ध कायम करूं। अिसलिअे मैं आया हूं। अब कल रालेगांव जायंगे। सबेरे ५ बजे चलने लगेंगे, दोपहरके ११ बजे पहुंचेंगे। फिर खाना-पीना होगा। हमें कुछ लिखना होता है, वह अुसके बाद लिखेंगे और शामको ५ बजे गांवके लोगोंसे बात करेंगे। शामको प्रार्थना करेंगे। सब मिलकर अीश्वरका नाम लेंगे और सबको अीश्वरका नाम लेना सिखायेंगे।

www.vinoba.in

रातको भगवानकी गोदमें सोयेंगे और परसों फिर अगले मुकामको जायेंगे। अैसा यह हमारा कार्यक्रम है।

रामराजका स्वावलम्बी मार्ग

आज भी यहांके लोग ५ बजे मिले थे। अुनसे बहुतसी बातें हुअीं। अुन्होंने किसानोंकी अड़चनें बतलायीं। वे बोले कि आगे चलकर अैसी स्थिति आनेका डर है कि मजदूरोंको खानेके लिअे जुआर भी न मिले। और पूछने लगे कि अब हमारे गांवके और दूसरे गांवोंके मजदूरोंका क्या होगा? मैंने अुनसे जो कहा, वह संक्षेपमें बतलाता हूं। तुकाराम महाराजने हमको सिखाया है कि, "तुझें आहे तुजपाशीं, परि तूं जागा चुकलासी।" तेरा जो कुछ है वह तेरे ही पास है, लेकिन तू अुसकी जगह भूल गया है और दूसरी ही तरफ खोज रहा है। कहता है कि सरकार मेरे लिअे क्या करेगी और डिप्टी कमिश्नर क्या करेगा और मंत्री क्या करेगा? परन्तु तेरे लिअे तू ही करेगा। तुझे जब थकावट होगी, तब तू ही सोयेगा, दूसरा नहीं सोयेगा; तुझे जब भूख लगेगी तब तू ही खायेगा दूसरा नहीं खायेगा; और जब तू आया था तब अकेला ही आया था तथा जब जायेगा तो अकेला ही जायेगा। अिस लिअे तेरी जिम्मेवारी तुझी पर है और वह तेरे हाथमें है। तू समझता है कि बाहरसे कोअी अुससे छुटकारा दिलायेगा। अरे पागल, अीश्वरने कैसी युक्ति की जो हरेकको दो हाथ दिये, दो कान दिये, दो पैर दिये। हरेकको बुद्धि दी। यह सब क्यों किया? अिसलिअे कि हरेक अपनेको संभाले। हरेक अपने पैरों पर खड़ा रहे और फिर अेक दूसरेको मदद करे। अिस प्रकार देहात देहातमें अपना छुटकारा हमीको करना है और वह हो सकता है। ५ लाख देहात हैं। तुम अगर कहो कि अुनका अुद्धार दिल्लीमें जो सरकार बैठी है वह करेगी, तो वह सरकार कितनी भी बुद्धिमान क्यों न हो फिर भी अितने दुःखोंका निवारण वह अकेली कैसे कर सकेगी? अिसलिअे अुपाय तुम्हारे हाथोंमें है। वह कौनसा? पैसोंका भाव घटता-बढ़ता रहता है। आज अेक रूपयेमें चार पायली जुआर मिलती है। कल कहते हैं कि दो पायली हो गयी। वह भी कभी मिलती है और कभी नहीं मिलती। मैंने अुनसे कहा कि तुम सालदार (सालभर काम करनेवाले मजदूर)को ६ कुड़व (८ पायलीका माप : १ पायली = १०० तोला) देना तय कर लेते हो। अुसमें फर्क नहीं करते। फर्क पैसोंमें करते हो। किसीको ४०, किसीको ५०, किसीको ६० रुपये, अिस प्रकार हरेककी योग्यता देखकर अुसे पैसे देते हो। परन्तु जुवार ६ कुड़व दे देते हो। अिस वर्धा जिलेमें मैं २५-३० वर्षसे सुनता आया हूं कि सालदारको महीनेमें ६ कुड़व जुवार मिलती है। यह मात्रा निश्चित होनेके कारण वह कभी भूखा नहीं रहता। अुसी तरह तुमको मजदूरोंके लिअे भी करना चाहिये। मजदूरको रोज नियत परिमाणमें जुवार देना निश्चित कर दो। मैंने कहा कि हरेक मजदूरको आधी पायली जुवार रोज दो और अूपरसे पैसे दो। स्त्रीको और पुरुषको आधी पायली जुवार दो, अिन दिनोंमें भी दो और बरसातमें भी दो, और फिर अूपरसे अपनी-अपनी रीतिके अनुसार कुछ पैसे दो। लेकिन आधी पायली जुआर रोज दोगे तो तुम्हारे गाँवमें मजदूर भूखा नहीं रहेगा। गावोंमें प्रेमका राज रहेगा। द्वेष नहीं रहेगा। यह मैंने अुनको समझाया। बड़ी देर तक चर्चा हुअी और अन्तमें वह बात अुनके गले अुतरी। फिर मैंने अुनसे कहा: "मेरे सामने विचार किया है, अिसलिअे अभी प्रस्ताव पास करो।" वहां सब बड़े आदमी अिकट्ठा हुअे थे। अुन्होंने अेक प्रस्ताव अुस तरहका पास किया। वे अब अुसे तुम लोगोंको पढ़कर सुनायेंगे। अुस प्रस्तावके अनुसार अगर तुम चलोगे, तो अिस गांवमें सब लोग भरपेट खायेंगे और अिस गांवका अुदाहरण दूसरे गांवोंके लिअे अुपयोगी होगा तथा सबका अुद्धार होगा।

पांच अुंगलियोंसे प्रेमका सबक

अेक बात और बतलाता हूं। हम सब अिन पांच अुंगलियोंकी तरह हैं। हमारे हाथकी अेक अुंगली छोटी है, अेक अुंगली बड़ी है। सब अुंगलियां अेक-सी नहीं हैं। परंतु कोअी काम करना हो, तो सारी अुंगलियां मिलकर अुसे करती हैं। लोटा अुठाना हो, तो सारी अुंगलियां और अंगूठा मिलकर अुसे अुठाते हैं। अितनी छोटी अुंगलियां हैं, लेकिन अुनसे कितना काम होता है? ये पांचों अुंगलियां अगर लड़ती रहतीं, आपसमें झगड़ा करतीं, यह अुंगली अुस अुंगलीकी मदद नहीं करती, अंगूठा चार अुंगलियोंकी मदद नहीं करता, चार अुंगलियां अंगूठेकी मदद नहीं करतीं, तो क्या कोअी काम होता? अुंगलियां अेक-दूसरेकी मदद करती हैं, अिसलिअे काम होता है। अुसी प्रकार हम गांवके लोगोंको प्रेमसे रहना चाहिये। कोअी छोटा, कोअी बड़ा, यह तो संसारमें रहने ही वाला है। परन्तु सबको प्रेमसे रहना चाहिये। सबके हृदय अेक होने चाहियें। यह सबक पांच अुंगलियोंसे सीखो। अुसी तरह चलनेमें भलाअी है।

प्रार्थनाकी सामूहिक पुकार

अन्तमें अेक चीज और कह दूं। मुझे तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लेना है। सिर्फ जो मैं कहता हूं वह करो। केवल सुननेसे काम नहीं होगा। रामदास स्वामीका वचन है, "समजले आणि वर्तले, तेचि भाग्यपुरुष झाले, येर ते बोलतचि राहिले करंटे जना" जो अभागे होते हैं, वे सिर्फ बोलते ही रहते हैं और सुनते ही रहते हैं। जिन्होंने किसी बातको समझ लिया और अुसके अनुसार बर्ताव किया, वे भाग्यवान होते हैं। अिसलिअे मैं कहूंगा थोड़ा ही, किन्तु तुम अुस पर अमल अवश्य करो। तुम्हारा कल्याण हुअे बिना नहीं रहेगा। मैं यह कहनेवाला था कि तुम लोग भगवानकी प्रार्थना करनेके लिअे अेकत्रित होते रहो। मैंने सुना है कि अिस गांवमें प्रार्थना हुआ करती है। पूछा कि कितने आदमी आते हैं, तो मालूम हुआ कि १५-२० आते हैं। फिर बालकोंसे पूछा कि बालक कितने होते हैं, तो कहने लगे कि बालक ही ज्यादा होते हैं। बड़े आदमी दो-तीन ही होते हैं। अैसा मत करो। ज्यादा आदमी आया करो। कोअी भी अेक समय मुकर्रर कर लो और प्रेमसे भगवानका नाम लो। आखिर अिस मनुष्य देहमें आकर क्या करना है? मनुष्य शरीरमें किस लिअे आना है? अेक-दूसरेकी मदद करें, अेक-दूसरेसे प्रेम करें और सब मिलकर अीश्वरका नाम लें। अुसने हमें वाणी दी है, अिसलिअे मैं तुमसे कहता हूं कि जितने अधिक लोग अिकट्ठे हो सको अुतने हो और भगवानका स्मरण करो।

(मराठीसे)

महादेवभाअीका पूर्वचरित

ले० — नरहरि परीख

अनु० — रामनारायण चौधरी

कीमत ०–१४–० डाकखर्च ०–३–०

नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद-९

विषय-सूची

		पृष्ठ
सवाल-जवाब	कि० घ० मशरूवाला	३३
सर्वोदय सम्मेलनके विषय	कि० घ० मशरूवाला	३३
गुजरातमें हिन्दी-हिन्दुस्तानी प्रचार	गिरिराज किशोर	३४
हाथ-करघोंके लिअे सूत	न० स० शिवसुब्रह्मण्यन्	३५
शराबबन्दी और समानता	मगनभाअी देसाअी	३५
हाथ-अुद्योग और यंत्र-अुद्योगोंका मेल – ३	कि० घ० मशरूवाला	३६
शुद्ध व्यवहार आन्दोलन	कि० घ० मशरूवाला	३७
विनोबाकी पैदल यात्रा – १,२		३९

www.vinoba.in